


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/729 उनवान मुन्नीलाल व अन्य बनाम राजस्थान सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.2024	<p>पत्रावली आज संभागीय आयुक्त जयपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। दर्ज रजिस्टर करें। वकील अपीलान्ट उप। वकील अपीलांट द्वारा अपनी अपील को अब आगे नहीं चलाना चाहते हुए प्रकरण को इसी स्तर पर नोट प्रेस में खारिज किये जाने का कथन करते हुये न्यायालय की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। हमने अधिवक्ता अपीलांट के कथनो पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि प्रकरण अपीलान्टस की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी भूमि में से गैर मुमकिन नया रास्ता दर्ज कर निकलवाये जाने से संबंधित प्रतीत होता है। चूंकि वकील अपीलार्थी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा पत्रावली की आदेशिका पर नोटप्रेस अंकित कर दिया गया है इसलिये यह अपील आगे चलाये जाने योग्य नहीं है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वकील अपीलान्ट द्वारा अपील नोटप्रेस किये जाने के कारण अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखित दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> (डॉ. प्रवीण कुमार) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर</p>	<p>Note Press 26.11.2024</p>